क्रम-संख्या–162

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 4 अगस्त, 2022

श्रावण 13, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 354 / 79-वि-1–2022-2-क-6-2022

लखनऊ, 4 अगस्त, 2022

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदया द्वारा निम्नलिखित सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985–नियम 12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2022) जिससे वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985–नियम 12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2022

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2022)

[भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के नियम 12 का संशोधन करने और तद्धीन या तद्सम्बन्ध में कृत कतिपय कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण करने के लिए

अध्यादेश

चूंकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अध्यादेश सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985–नियम 12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2022 कहा जायेगा।

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के नियम 12 का संशोधन

2–समय–समय पर यथा संशोधित सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) का नियम 12 निकाल दिया जायेगा और उसे दिनांक 1 अप्रैल, 1986 से निकाला गया समझा जायेगा।

विधिमान्यकरण

3–किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985–नियम 12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2022 के प्रारम्भ होने के पूर्व शासनादेश संख्या सा–4–जी0आई0–28/दस–86–59–81, दिनांक 5 जुलाई, 1986 के पैरा–2 के प्रथम वाक्य के उपबन्ध के अधीन या उसके निबन्धनों के अनुसार उक्त नियम के सम्बन्ध में कृत या की गयी तात्पर्यित कोई बात और कृत या की गयी तात्पर्यित कोई कार्यवाही, सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985–नियम 12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2022 द्वारा यथा संशोधित सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के उक्त नियम 12 के अधीन या तत्सम्बन्ध में किये जाने हेतु और सदैव से कृत या की गयी समझी जायेगी और वह उतनी ही विधिमान्य होंगी तथा सदैव विधिमान्यकृत समझी जायेगी मानों इस अध्यादेश के उपबन्ध दिनांक 1 अप्रैल, 1986 से समस्त सारवान समयों पर प्रवृत्त थे।

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

——————

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 354/LXXIX-V-1–2022-2-ka-6-2022

Dated Lucknow, August 4, 2022

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Samanya Bhavishya Nidhi (Uttar Pradesh) Niyamawali, 1985-Niyam 12 (Sanshodhan Aur Vidhimanyakaran) Adhyadesh, 2022 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 6 of 2022) promulgated by the Governor. The Vitt (Samanya) Anubhag-2 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE GENERAL PROVIDENT FUND (UTTAR PRADESH) RULES, 1985-RULE 12 (AMENDMENT AND VALIDATION) ORDINANCE, 2022

(U.P. ORDINANCE NO. 6 OF 2022)

[*Promulgated by the Governor in the Seventy third Year of the Republic of India*]

AN

ORDINANCE

to amend Rule 12 *of The General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules,* 1985 *and to validate certain actions taken thereunder or in relation thereto.*

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title

1. This Ordinance may be called the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985-Rule 12 (Amendment and Validation) Ordinance, 2022.

Amendment of rule 12 of the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985

2. The rule 12 of the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985, as amended from time to time (hereinafter referred to as the said rule), shall be *omitted* and be deemed to have been *omitted* with effect from April 1, 1986.

Validation

3. Notwithstanding any judgment, decree or order of any Court, anything done or purporting to have been done and any action taken or purporting to have been taken under or in relation to the said rule in terms of the provision of first sentence of the paragraph 2 of the Government Order no. G-4-G. I-28/X-86-59-81 dated July 5, 1986 before the commencement of The General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules 1985-Rule 12 (Amendment and Validation) Ordinance, 2022 shall be deemed to be and always to have been done or taken under or in relation to the said Rule 12 of The General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules 1985 as amended by The General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985 Rule 12 (Amendment and Validation) Ordinance, 2022 and to be and always to have been as valid as if the provisions of this Ordinance were in force at all material times with effect from April 1, 1986.

ANANDIBEN PATEL
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 353 राजपत्र–2022–(576)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 38 सा0 विधायी–2022–(577)–300 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
353 RPH 2022 (General Provident Fund) (Addhyadesh) data 4e